

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर।

पत्रांक-
सेवा में,

2205 / 14-10

, दिनांक सुलतानपुर 31-12- 2019

अधिकाधी अभियन्ता,
अतिरिक्त निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम,
सुलतानपुर।

विषय:- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस०ए०जी०वाई०) वलीपुर के अन्तर्गत जोन-2 (रतनपुर) में पेयजल पाइप लाइन विछाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि आपके प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Water/39692/2019 जो ऑनलाइन किया गया है। उक्त प्रस्ताव के साथ प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.1095 हे० के बदले उतनी गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में खसरा, खतौनी एवं भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अनुरोध है कि उक्त का समाधान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,



(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर।